प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.01.2025

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.01.2025 को रैपिड मैट्रो स्टेशन साउथ थाना क्षेत्र मोदीनगर के स्टेशन कन्ट्रोलर द्वारा डायल-112 पर सूचना दी कि विशेष सुरक्षा बल को चेकिंग के दौरान स्कैनिंग मशीन में एक व्यक्ति के बैग में अवैध वस्तु दिखाई दी है। इस सूचना पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति विशाल चौधरी पुत्र इन्द्रपाल चौधरी निवासी निजामपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष के बैग की तलाशी ली गई जिसमें 01 अवैध तमंचा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। अभियुक्त को मौके पर अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं निवाडी रोड मोदीनगर पर कार धुलाई का कार्य करता हूँ। काफी समय पहले कोई अज्ञात व्यक्ति कार धुलाई के लिए आया था जिसको मैं जानता नही हूँ जो उक्त तमंचा व कारतूस को वही पर छोडकर चला गया था जिनको मैंने उठाकर बैग में रखा लिया था और मैं उसी बैग को लेकर कार धुलाई का सामान लेने नोएडा जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विशाल चौधरी पुत्र इन्द्रपाल चौधरी निवासी निजामपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना मोदीनगर पर अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की 01 जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा गोली मारकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी फायरिंग में दोनो बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किये गये, कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 04 खोखा कारतूस मय घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 23-01-25 को वादी श्री जोनी उर्फ प्रशान्त पुत्र शिवलाल निवासी म0नं0 342 गली नं0 2, 30 फुटा रोड, दीनदयालपुरी नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभियुक्तगण द्वारा मेरे भाई को गोली मार दी है, जिसको अस्पताल ले जाते समय उसकी

मृत्यू हो गयी है। उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना स्तर पर 04 टीमों का गठन किया गया। दिनांक 23/01/25 को मोरटी गेट एसजी ग्रेड सोसायटी के पास चैकिंग के दौरान 02 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिये, जिन्हे रुकने के लिए इशारा किया तो वापस मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हे आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से गिरफ्तार किया गया। घबराने व भागने का कारण पूछा तो डर गये और बताया कि हम लोगों ने नन्दग्राम पार्क में चंचल नाम के लड़के को कल रात गोली मार दी थी इसलिए पुलिस को देखकर डरकर भाग रहे थे। गोली मारने वाले तमंचे के बारे में पूछा गया तो बताया कि वे दोनों तमंचे हमने कृष्णाकुंज सोसायटी के पीछे खाली स्थान पर बना खण्डहर कमरे में ईंटो को नीचे दबाकर छिपा रखे है। जिसको हम चलकर बरामद करा सकते है, अभियुक्तों को साथ लेकर जब पुलिस बल अभियुक्तों के बताये स्थान पर पहुंचे तो अभियुक्तों ने आगे बढकर ईंटो के नीचे से तमंचा उठाया और तेजी के साथ तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही करते हुए बदमाशों के पैर में गोली लगी है, अभियुक्तों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया।

अभियुक्तों के नाम व पता-

1. अरुण पुत्र बृजेश निवासी मोहल्ला टांडा गली न0 3 शनि मंदिर के पास थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर हाल निवासी म0न0 एफ के -6 ग्राउन्ड फ्लोर मधुबन बापूधाम थाना मधुवन बापूधाम कमि0 गाज़ियाबाद उम्र 23 वर्ष।
2. अनुज गौतम उर्फ बाबा पुत्र सोनू निवासी ग्राम हींगवारा थाना बीबीनगर जनपद बुलंदशहर हाल निवासी -1/4 सी काशिराम आवास योजना मधुबन बापूधाम थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाज़ियाबाद, उम्र 23 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.01.2025 को हमने रात्रि में करीब 09.30 चंचल पुत्र शिवलाल निवासी म0न0-342 गली नं0-2 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद की गोली मार कर हत्या कर दी थी, अभियुक्त अरुण ने बताया कि मेरा परिवार 12 वर्ष पूर्व गली नंबर 5 नई बस्ती नंदग्राम मे रहता था। अब मैं परिवार के साथ मधुबन बापूधाम में रह रहा हूं। मैं व मेरा भाई नितिन, चंचल को करीब 12 वर्ष से जानते थे इसलिए हम दोनों का आना-जाना नई बस्ती नंदग्राम में लगा रहता था तथा हमारे मामा देवेंद्र भी गली नंबर 5 नई बस्ती नंदग्राम में ही रहते हैं मेरा 8 महीने पहले नई बस्ती पार्क में पैसों के लेनदेन को लेकर चंचल से झगडा हुआ था जिसमें चंचल ने अपने दो-तीन साथियों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट की थी। चंचल का झगडा मेरे भाई नितिन के साथ भी हुआ था जिसमें फिर से चंचल ने अपने दो-तीन साथियों के साथ मिलकर मेरे भाई नितिन के साथ मारपीट की थी। तभी से हम दोनो भाईयो ने चंचल को सबक सिखाने की बात ठान ली थी। दि0 22-1-25 को मेरे भाई नितिन रात करीब 08.30 बजे नई बस्ती आया था तो उसने चंचल को पार्क में बैठे देखा। तो मेरे भाई ने मुझे फोन करके चंचल को मारने की योजना बताते हुए मुझे नई बस्ती पार्क में बुलाया उस समय अनुज उर्फ बाबा भी मेरे साथ था तब हम लोगों द्वारा चंचल को मारने का प्लान बनाकर मैं तथा अनुज उर्फ बाबा एक एक तमंचा लेकर पार्क में आये जहां पार्क में बैठे हुए चंचल को मेरे भाई नितिन द्वारा दिखाकर उसे जान से मारने के लिए कहा तब मैंने व अनुज उर्फ बाबा ने चंचल के नजदीक पहुंच कर एक एक गोली तमंचों से मारी थी चंचल के पास उस समय दो तीन लड़के भी बैठे थे जो गोली मारते समय वहां से भाग गये थे।

बरामदगी का विवरण-

1. 02 तमंचे .315 बोर
2. 04 खोखा कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त मो0सा0 होण्डा (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 14.07.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन चोरी कर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर घटना पुरानी होने के कारण तत्काल भादवि की धारा 380/504/506 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 24.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश पुत्र रामजीलाल निवासी सरस्वती विहार रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद , मूल पता ग्राम निधौला जिला अलीगढ, उम्र करीब 30 वर्ष 2. वसीम पुत्र नवाब अली इदरीसी निवासी रूपनगर सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि वसीम ने यह मोबाइल मौका पाकर वादी के घर से चोरी कर लिया था जिसे बेचने के लिए अपने साथी जयप्रकाश पुत्र रामजीलाल निवासी सरस्वती विहार रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद को दे दिया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.जयप्रकाश पुत्र रामजीलाल निवासी सरस्वती विहार रूपनगर थाना लोनी गाजियाबाद , मूल पता ग्राम निधौला जिला अलीगढ, उम्र करीब 30 वर्ष ।

2. वसीम पुत्र नवाब अली इदरीसी निवासी रूपनगर सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण :-

कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद ।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम – थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चाँदी साफ करने वाला सिल्वर क्लीनर कैमिकल को डालकर वादी/पीड़ित को घायल करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 21.01.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री कपिल शर्मा पुत्र रमेश चन्द्र शर्मा निवासी एफ0सी0 44 लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी और बताया कि वादी/पीड़ित से सलीम पुत्र अजमुद्दीन निवासी कैला भट्ठा द्वारा कई दिनों से उधार पैसे मांगे जा रहे थे वादी/पीड़ित द्वारा उधार पैसे देने से मना कर दिये जाने पर सलीम पुत्र अजमुद्दीन उपरोक्त द्वारा वादी/पीड़ित के ऊपर चाँदी साफ करने वाला सिल्वर क्लीनर कैमिकल डाल दिया गया । जिस कारण वादी/पीड़ित की आँख व शरीर घायल हो गया । जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर धारा 118(2),351(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्तक्रम में आज दिनांक 24.01.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा चाँदी साफ करने वाला सिल्वर क्लीनर कैमिकल को डालकर वादी/पीड़ित को घायल करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त सलीम पुत्र अजमुद्दीन निवासी 818 कैला भटटा कैला चौक थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष को छोटी मस्जिद के पास से लिंकरोड़ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सलीम पुत्र अजमुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 118(2),351(2) बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सलीम पुत्र अजमुद्दीन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि सलीम पुत्र अजमुद्दीन निवासी 818 कैला भटटा कैला चौक थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र 52 वर्ष द्वारा वादी/पीड़ित से

उधार पैसे न मिलने के कारण गुस्से में आकर वादी/पीड़ित के ऊपर चाँदी साफ करने वाला सिल्वर क्लीनर कैमिकल डाल दिया गया था। जिससे वादी/पीड़ित वादी घायल हो गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-</u>
सलीम पुत्र अजमुद्दीन निवासी 818 कैला भटटा कैला चौक थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>
गिरफ्तार अभियुक्त सलीम पुत्र अजमुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिकंरोड़ पर चाँदी साफ करने वाला सिल्वर क्लीनर कैमिकल को डालकर घायल करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना लिंकरोड पुलिस टीम।